न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 05/2018
दायर दिनांक: 20.02.2018
निर्णय दिनांक 19.08.2019

—:अनवान:—

श्रीमती लेहरी बाई पुत्री वेणी राम जाट उम्र 65 वर्ष निवासी ओलना का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनाम:—

1. श्री शोभा लाल पिता वेणीराम जाट उम्र 60 वर्ष निवासी ओलना का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. श्रीमती दाखी बाई बेवा हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी ओलना का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
3. श्रीमती कमला पुत्री हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी ओलना का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द पत्नी श्री रतनलाल जाट हॉल निवासी कांगनी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती पारसी पुत्री हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी ओलना का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द पत्नी श्री माधु जाट हॉल निवासी जसवन्तपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
5. श्रीमती सुन्दर पुत्री हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी ओलना का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द पत्नी श्री भैरूलाल जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. नायब तहसीलदार साहब, सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 234 फैसल दिनांक 20.08.1998 द्वारा नायब तहसीलदार सरदारगढ तहसील आमेट के विरूद्ध अपील

उपस्थित:—

1— श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता
2— श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— श्री अब्दुल हकीम चुडीघर अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05
4— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा राजस्व ग्राम ओलना का खेडा, पटवार हल्का ओलना का खेडा, तहसील आमेट में खाता संख्या नया 234 पुराना 215 आराजी नं0 800 रकबा 0.6700 हैक्टर, आराजी नं0 847 रकबा 1.1200 हैक्टर, आराजी नं0 923 रकबा 0.3200 हैक्टर, आराजी नं0 975 रकबा 0.2100 हैक्टर आराजी नं0 998 रकबा 0.0500 हैक्टर, आराजी नं0 999 रकबा 0.0900 हैक्टर, आराजी नं0 1002 रकबा 0.0900 हैक्टर, आराजी नं0 1030 रकबा 0.2400 हैक्टर, आराजी नं0 1036 रकबा 0.0400 हैक्टर, आराजी नं0 1059 रकबा 0.2500 हैक्टर, आराजी नं0 1063 रकबा 0.3800 हैक्टर व आराजी नं0 1064 रकबा 0.2000 कुल किता 12 कुल रकबा 3.6600 हैक्टर भूमिया संवत् 2052 से 2055 की जमाबंदी मे अपीलांट के पिता वेणीराम पिता गुलाब जाट निवासी ओलना

खेडा के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। खाता संख्या 235 पुराना 216 आराजी नं0 799 रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी नं0 996 रकबा 0.0100 हैक्टर, आराजी नं0 1034 रकबा 0.0500 हैक्टर आराजी नं0 1035 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.1200 हैक्टर भूमियां संवत् 2052 से 2055 की जमाबंदी मे अपीलांट के पिता वेणीराम पिता गुलाब जाट निवासी ओलनाखेडा के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज थी। खाता संख्या नया 236 पुराना 217 आराजी नं0 1047 रकबा 0.0300 हैक्टर, आराजी नं0 1048 रकबा 0.1400 हैक्टर व आराजी नं0 1058 रकबा 0.0900 हैक्टर भूमिया संवत 2052 से 2055 कर जमाबंदी मे अपीलांट के पिता वेणीराम पिता गुलाब जाट निवासी ओलना खेडा के नाम 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज भूमिया स्थित है। इसके संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 234 दिनांक 20.08.1998 को मृतक वेणीराम पिता गुलाब जाट के विरासत की पुत्री लेहरीबाई द्वारा अपील पेश कर विरासत से खुले नामान्तरण को चुनौती दी गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण मण्डोवरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुलहकीम चुडीघर ने उपस्थिति दी। राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम ओलना का खेडा, पटवार हल्का ओलना का खेडा, तहसील आमेट में स्थित कृषि भूमि के संबंध में मृतक वेणीराम पिता गुलाब जाट की मृत्यु के बाद विरासत से खोले गये नामान्तरकरण मे अपीलार्थी का नाम दर्ज न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 2 से लगायत 5 तक के पूर्वाधिकारी श्री हजारी के साथ–साथ बराबर–बराबर हक से दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से लगायत 5 के पूर्वाधिकारी श्री हजारी को ही वेणीराम का पुत्र बता कर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर खोल दिया व वेणीराम की पुत्री नहीं होना अंकित करते हुए वक्त नामान्तरकरण सजरा बना दिया जबकि अपीलांट वेणीराम की पुत्री होने से हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी समान–समान हक अधिकार है लेकिन रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वारिसानों की सही जांच किये बगैर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया। आक्षेपित नामान्तरण विरासत के आधार पर खुला है जबकि कानूनन विरासत के नामान्तरण को खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 20.08.1998 को अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में वेणीराम पिता गुलाब जाट के विधिक वारिसान के रूप में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि चल संपति मे हिस्सा दे दिया है। समय–समय पर बहन को पेसे दिये जाते रहे है। गिफ्ट भी दिये जा रहे है। चल संपति में हिस्सा ले लिया है। इसलिये अचल संपति में हिस्सा नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से अपील खारिज फरमायी जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांकः 20.08.1998 को स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरण संख्या 234 को इस आधार पर चुनोति दी गयी हैं कि अपीलांट स्व0 श्री वेणीराम पिता गुलाब जाट पुत्री होने से हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी अपने स्व0 पिता/माता की भूमियों में समान–समान हक अधिकार है। आक्षेपित नामान्तरण संख्या 234 का अवलोकन किया गया। आक्षेपित नामान्तरण के अवलोकन से एक पुत्री का नाम नामान्तरण में खुला है।। आक्षेपित नामान्तरण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ। वारिसान की जांच नहीं की गई। बेटीया को हिस्सा नहीं मिला। हल्का पटवारी के द्वारा विरासत का सजरा गलत तरीके से बनाया गया तथा विरासत की भी कोई जांच नहीं की गयी हैं और सीधा ही नामान्तरण नायब तहसीलदार सरदारगढ से स्वीकृत करवा लिया गया है जो न्यायोचित नहीं हैं। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय हैं कि अपीलांट का नाम विरासत के नामान्तरण में छोड़े जाने का कोई आधार अर्थात अपीलांट की ओर से हकत्याग आदि किया हो ऐसा कोई प्रमाण भी पत्रावली पर रेस्पोण्डेंट द्वारा पेश नहीं किया गया हैं जबकि अपीलार्थी भी हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण समान अधिकार रखती है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण में स्व0 वेणीराम पिता गुलाब जाट के सही वारिसान की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार सभी विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरण आदेश पारित करने का निर्णय दिया जाता हैं।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांकः 20.08.1998 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण नायब तहसीलदार, सरदारगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक वेणीराम पिता गुलाब जाट के समस्त विधिक वारिसान की पुनः जांच की जावे एवं नये सिरे से सभी वारिसान के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द